न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 34/2023 (2023/110)

1. कान्ता देवी पत्नि गुदड मल जाति हरिजन निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

——अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित:—
श्री अनुराग पाण्डे :— अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 19.05.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
175—169	166	1.13	नहरी 1
	कुल किता 1	**कुल रकबा 1.13 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात है जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है एवं प्रार्थीगया के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक व हिस्सा, अधिकार नही है। प्रार्थीया की आराजीयात के पडोसी खातेदार जबरन खेत की मेड को हाथ से तोड देते है तथा सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर देते है एवं आये दिन सीमा विवाद करते है जिससे झगडा फसाद होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। दिनांक 15.03.2023 को प्रार्थीया खेत की देख रेख करने गयी तो पडौसियों ने प्रार्थीया की आराजी में सीमा चिन्हो को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तथा जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिस हेतु ओलबा दिया तो पडौसी प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया—पुराना 175—169 में दर्ज खसरा नम्बर 166 रकबा 1.13 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी